# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 1/2017

1. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

बनाम

माफी मन्दिर श्री महादेव जी विराजमान ग्राम आभानेरी, ढाणी हरिजन तहसील बसवा जिला दौसा जरिये संरक्षक एवं पुजारीगणः–

1. गिर्राज पुत्र बद्री जाति जोगी निवासी ढाणी हरिजन आभानेरी तह0 बसवा जिला दौसा।
2. रामेश्वर माली } पुत्रान धन्ना
3. छगन माली
4. छुट्टन माली
5. रंगलाल माली
6. नत्थी देवी
7. मुकेश } पुत्रान मोती
8. कमलेश
9. लक्ष्मी देवी पत्नि श्री उत्तम माली
10. पिन्टू } पुत्रान उत्तम माली
11. कैलाश
12. भगवती देवी पत्नि मोहनलाल
13. सोहनलाल पुत्र मोहनलाल

समस्त जाति माली निवासी ढाणी हरिजन आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा।

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत राज0 भू–राजस्व अधिनियम धारा 82

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री विश्राम दयाल कुम्हार अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित।
: श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2,3,5,6,7,8,10,12,13 उप0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:–निर्णयः– दिनांकः 28.6.2018

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढाणी हरिजन (आभानेरी) तहसील बसवा, जिला दौसा की खतौनी बन्दोबस्त संवत 2006 से 2022 में खाता सं0 78 के खसरा न0 157 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि के अनुसार माफी मन्दिर महादेव जी पुजारी मु0 लाडा बेवा डाल्या कौम जोगी, साकिन खेडा के

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम आभानेरी की भूमि एकीकरण संवत 2017 के खाता सं0 78 के अनुसार उक्त भूमि के नये ख0 नं0 51 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा व ख0 नं0 53 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर महादेव जी के नाम रही है। ग्राम आभानेरी की जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 तक के खाता सं0 172 के अनुसार उक्त भूमि 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि की खातेदारी माफी मन्दिर महादेव जी पुजारी मु0 लाडा बेवा डाल्या कौम जोगी साकिन खेडा खुदाकश्त की रही है। जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत 2023 से 2026 के खाता सं0 89 में उक्त भूमि माफी मन्दिर के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत 2027 से 2030 के खाता सं0 75 में बिना कोई विधिक अधिकार व कानूनी आदेश के माफी मन्दिर महादेव जी महाराज की भूमि से नाम हजफ कर भूमि पुजारी मु0 लाडा बेवा डाल्या कौम जोगी साकिन खेडा के नाम दर्ज कर दी गई है। माफी मन्दिर महादेव जी जो कि शाश्वत नाबालिग है के हितो की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। अतः उक्त भूमि को माफी मन्दिर महादेव जी के नाम किया जाना आवश्यक है। पुजारी मु0 लाडा देवी बेवा डाल्या के नाम गलत खातेदारी की आड में धन्ना पुत्र लादू कौम माली ने उसकी गरीबी, बुढापे व अनपढ होने का फायदा उठाकर उक्त माफी मन्दिर की भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.9.1975 को अपने नाम करा ली जो कि कानूनन गलत है तथा नल एण्ड वाईड है। उक्त गलत बेचान के आधार पर दर्ज खातेदार धन्ना पुत्र लादया कौम माली की मृत्यू हो चुकी है। जिसके वारिसान 2 लगायत 13 नामान्तरकरण खुलवाकर बेचान करने की फिराक में है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल बन्दोबस्त संवत 2052 लगायत 2071 की कार्यवाही में उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बरान बना दिये गये है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पूर्व में आभानेरी में व वर्तमान में नये राजस्व ग्राम ढाणी हरिजन(आभानेरी) होने से ढाणी हरिजन में स्थित है। जो तहसील बसवा की राजस्व सीमा में आती है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम ढाणी हरिजन तहसील बसवा की सीमा में स्थित हाल नये ख0 नं0 408 रकबा 0.06 है0, ख0 न0 417 रकबा 0.09 है0, ख0 नं0 418 रकबा 1.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0 माफी मन्दिर श्री महादेव जी की भूमि है परन्तु उक्त भूमि को विधि विरूद्ध बिना अधिकार के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री महादेव जी महाराज विराजमान साकिन देह ढाणी हरिजन के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं राजकीय अधिवक्ता तथा अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ढाणी हरिजन तहसील बसवा स्थित भूमि ख.न. 157 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा संवत 2006 से 2022 में माफी मन्दिर महादेव जी पुजारी मु. लाडा देवी बेवा डाल्या कौम जोगी साकिन खेडा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण संवत 2017 में उक्त भूमि के नये ख.न. 51 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा व ख.न. 53 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर महादेव जी के नाम रही है। जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 व संवत 2023 से 2026 में भी उक्त भूमि माफी मन्दिर महादेव जी के नाम रही है। संवत 2027 से 2030 में उक्त भूमि माफी मन्दिर महादेव जी की भूमि से नाम हजफ कर पुजारी मु. लाडा देवी बेवा डाल्या कौम जोगी निवासी खेडा के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.09.1975 धन्ना पुत्र लादू कौम माली ने अपने नाम करवा ली। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में आभानेरी एवं वर्तमान में नये राजस्व ग्राम ढाणी हरिजन बनाये जाने से ग्राम ढाणी हरिजन में स्थित है। जिसके हाल ख.न. 408 रकबा 0.06 है0, ख0 न0 417 रकबा 0.09 है0, ख0 नं0 418 रकबा 1.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0 भूमि जो वर्तमान में धन्ना पुत्र लाद्या जाति माली की खातेदारी में दर्ज है को दुरस्त किया जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री महादेव जी महाराज विराजमान साकिन देह ढाणी हरिजन के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः रेफरेंस स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की माफी मन्दिर महादेव जी जो शाश्वत नाबालिग है के हितो की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है। पूर्व में उक्त वर्णित भूमि संवत 2006 से संवत 2026 तक माफी मन्दिर महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त भूमि माफी मन्दिर महादेव जी के नाम हजफ किया जाकर अन्य के नाम से खातेदारी में दर्ज की गई है। अतः उक्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने हेतु रेफरेंस स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2,3,5,6,7,8,10,12,13 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया की रेफरेंस जिस भूमि का पेश किया गया है वह हमने खरीदकर सद्भावी रूप से काबिज काश्त है। रजिस्ट्री के समय उक्त भूमि खातेदारी भूमि थी। उससे पूर्व माफी मन्दिर की होने का हमे कोई ज्ञान नही है। अप्रार्थीगण पंजीकृत विक्रय पत्र से उक्त भूमि के क्रेता है। रजिस्ट्री

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निरस्तीकरण बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करना चाहिए था। उक्त भूमि रजिस्ट्री से क्रय किया जाना अप्रार्थी सं. 01 द्वारा स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी सं. 01 का इससे कोई सरोकार नही है। अतः रेफरेस प्रकरण खारिज फरमाय जावें।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व से ही संवत 2006 से संवत 2026 तक माफी मन्दिर महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। जिसको कानून के विपरीत माफी मन्दिर महादेव जी का नाम हजफ किया जाकर पुजारी मु. लाडा देवी बेवा डाल्या कौम जोगी निवासी खेडा नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई एवं ततपश्चात उक्त भूमि धन्ना पुत्र लादू कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जिसको माफी मन्दिर महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड करवाया जाना हम उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता हैं। साथ ही तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार बसवा को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर दौसा